नारी शक्ति वंदन अधिनियम से महिलाओं की राजनीति में बढ़ेगी भागीदारी : मुख्यमंत्री

महिलाएं अपने सपनों को पंख दें, हमारी सरकार आपके साथ खड़ी : भजनलाल शर्मा

मुख्यमंत्री आवास पर आयोजित नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम में पहुंची महिलाओं और छात्राओं के साथ सीएम भजनलाल शर्मा ने मोबाइल में सैल्फी ली।

- प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, जन धन योजना, स्टैंड-अप इंडिया योजना, महिला स्वयं सहायता समूह, नमो ड्रोन दीदी योजना और लखपति दीदी जैसी कई योजनाओं से महिलाओं को आर्थिक सशक्त बनाया

जयपुर (कासं)। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि यशस्वी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में विकसित भारत के संकल्प के साथ देश आगे बढ़ रहा है और नारी शक्ति इसके केंद्र में है। केंद्र सरकार ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम के माध्यम से विधानसभा और लोकसभा में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण का मार्ग प्रशस्त किया है। इससे इनकी राजनीति में अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित होगी। उन्होंने कहा कि हमारी डबल इंजन सरकार ने महिला सशक्तीकरण को जीवन के प्रत्येक पहलू से जोड़ा है। उन्होंने महिलाओं को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि आप अपने सपनों को पंख दीजिए, हमारी सरकार आपके साथ खड़ी है। शर्मा शुक्रवार को मुख्यमंत्री आवास पर आयोजित नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का मानना है कि हमारा समाज और देश तभी प्रगति करेगा, जब महिलाएं हर क्षेत्र में भागीदारी निभाएंगी। प्रधानमंत्री ने वर्ष 2014 के बाद महिलाओं के उत्थान को प्राथमिकता देते हुए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, जन धन योजना, स्टैंड-अप इंडिया योजना, महिला स्वयं सहायता समूह, नमो ड्रोन दीदी योजना और लखपति दीदी जैसी कई योजनाओं के माध्यम से महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाया है। लखपति दीदी योजना के तहत प्रदेश में करीब 20 लाख महिलाओं को प्रशिक्षण प्रदान कर 16 लाख से अधिक महिलाओं को लखपति दीदी की श्रेणी में लाया जा चुका है। उन्होंने कहा कि बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ जैसी योजना ने महिला सशक्तीकरण को मजबूती प्रदान की है। शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत महिलाओं के नाम पर मकान आवंटित किए जाते हैं। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त रसोई गैस कनेक्शन भी दिए गए हैं। स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालयों का निर्माण करवाकर महिलाओं की गरिमा सुनिश्चित की गई है तथा हर घर नल से जल के माध्यम से पेयजल की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित की गई है।

इस दौरान प्रदेशभर के विभिन्न क्षेत्रों से आई महिलाओं एवं छात्राओं ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम के लिए डबल इंजन सरकार का आभार जताया तथा राज्य सरकार द्वारा संचालित की जा रही कल्याणकारी योजनाओं के लिए मुख्यमंत्री का धन्यवाद ज्ञापित किया। इस दौरान महिलाओं एवं छात्राओं ने मुख्यमंत्री के साथ सेल्फी भी ली। इस अवसर पर मुख्यमंत्री कार्यालय के अधिकारीगण एवं बड़ी संख्या में महिलाएं एवं छात्राएं उपस्थित रहीं।

रीको ने भूखण्ड आवंटियों को दी बड़ी राहत

- भूखण्ड से संबंधित विभिन्न स्वीकृतियों के निस्तारण की समय सीमा घटाई

जयपुर (कासं)। राज्य में निवेश को बढ़ावा देने तथा उद्यमियों को सुविधाजनक वातावरण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से रीको द्वारा विभिन्न प्रक्रियाओं एवं नियमों का लगातार सरलीकरण किया जा रहा है। रीको ने भूखण्ड आवंटन से संबंधित नियमों, समय-सीमाओं एवं आवश्यक दस्तावेजों की व्यापक समीक्षा कर इनमें संशोधन कर आवश्यक परिपत्र जारी किया है। अब सभी रीको इकाई प्रभारी संबंधित औद्योगिक क्षेत्रों में आवंटियों को विभिन्न प्रकार की स्वीकृतियां नए परिपत्र के अनुरूप कम की गई समय सीमा में ही जारी करेंगे।

रीको औद्योगिक क्षेत्रो में आवंटियों को समय-समय पर अपने भूखण्ड से संबंधित विभिन्न स्वीकृतियां लेनी होती हैं। इसके लिये आवंटी अपने एसएसओ आईडी के माध्यम से रीको पॉर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर स्वीकृतियां प्राप्त कर सकेंगे।

इन स्वीकृतियों के अंतर्गत कंपनी के डायरेक्टर्स में परिवर्तन, कंपनी के स्वरूप में बदलाव (प्राइवेट लिमिटेड से लिमिटेड अथवा इसके विपरीत), भूखण्डों का मर्जर, ऋण प्राप्ति हेतु अनुमति तथा कंपनी के नाम परिवर्तन इत्यादि सम्मिलित हैं।

इसके अलावा, भूखण्डों पर प्लिंथ स्तर अथवा छत स्तर पर निर्माण की सूचना हेतु आवेदन की समय-सीमा को 3 दिन से घटाकर 1 दिन करने का निर्णय लिया गया है। अब जियोटैग फोटो अपलोड करने के पश्चात एक दिन में ही आवेदन मान्य माना जाएगा, जिससे प्रक्रिया अधिक सरल, त्वरित एवं पारदर्शी बनेगी।

पर्यावरण स्वीकृति से संबंधित आवेदन एवं स्वीकृति प्राप्त किये जाने की सूचना, लीज डीड निष्पादन के पंजीकरण, संपत्ति पर ऋण पूरा होने की सूचना देने के लिए आवेदन निस्तारण की समय सीमा 3 दिन के स्थान पर 1 दिन तथा पावर ऑफ अटॉर्नी जारी होने की सूचना के आवेदनों के निस्तारण की समय-सीमा घटाकर 15 दिन से 1 दिन कर दी गई है। इससे उद्यमियों को शीघ्र सेवाएं प्राप्त होंगी तथा प्रशासनिक दक्षता में वृद्धि होगी। भूखण्ड को सब-लेटिंग अथवा सब-लीजिंग पर देने के आवेदनों का निस्तारण अब 7 दिन के स्थान पर मात्र 3 दिन में किया जाएगा।

यदि कोई उद्यमी निर्धारित समय-सीमा में भूखण्ड पर औद्योगिक इकाई स्थापित नहीं कर पाता है, तो समय-सीमा बढ़ाने के लिए आवेदन करना आवश्यक होता है।

ऐसे मामलों में अब कारण सहित औचित्य, जियोटैग फोटो एवं अन्य सहायक दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। उल्लेखनीय है कि इन आवेदनों के निस्तारण की समय-सीमा भी 15 दिन से घटाकर 10 दिन कर दी गई है। इसी प्रकार, न्यायालय के माध्यम से अमलगमेशन, मृत्यु की स्थिति, गिफ्ट डीड, विक्रय तथा सब-डिवाइडेड प्लॉट के ट्रांसफर जैसे विभिन्न प्रकरणों के निस्तारण की समय-सीमा में भी कमी कर उद्यमियों को बड़ी राहत प्रदान की गई है। रीको की इस पहल से भूखण्ड आवंटियों को विभिन्न प्रकार की स्वीकृतियां बहुत कम समय में मिल सकेंगी एवं वे अपनी परियोजनायें जल्द स्थापित कर सकेंगे।

पूर्व आई.ए.एस. सुबोध अग्रवाल 13 अप्रैल तक रिमांड पर

960 करोड़ रुपए के जल जीवन मिशन घोटाले के मामले में एसीबी ने किया था गिरफ्तार

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर। एसीबी मामलों की विशेष अदालत क्रम-1 ने जल जीवन मिशन में हुए करीब 960 करोड रुपए के घोटाले से जुडे मामले में पूर्व आईएएस और तत्कालीन अतिरिक्त जलदाय सचिव सुबोध अग्रवाल को 13 अप्रैल तक रिमांड पर एसीबी को सौंप दिया है। हाल ही में अदालत की ओर से आरोपी सुबोध अग्रवाल को भगौडा घोषित करने के बाद एसीबी ने उसे गिरफ्तार किया था।

एसीबी की ओर से आरोपी सुबोध अग्रवाल को अदालत में पेश कर पांच दिन का रिमांड मांगा। एसीबी की ओर से कहा गया कि आरोपी से प्रकरण को लेकर पूछताछ करनी है। वहीं यह भी जानकारी हासिल की जाएगी की इस घोटाले में और कौन-कौन लोग शामिल हैं। वहीं सुबोध अग्रवाल के वकील ने पुलिस रिमांड का विरोध किया। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने आरोपी को 13 अप्रैल तक पुलिस रिमांड पर सौंप दिया है। बाहर आकर सुबोध अग्रवाल ने कहा कि उन्हें न्याय प्रणाली पर पूरा भरोसा है, सत्यमेव जयते।

ज्ञात रहे कि जल जीवन मिशन घोटाले को लेकर एसीबी ने पूर्व में तत्कालीन जलदाय मंत्री महेश जोशी और ठेका फर्म के संचालकों को गिरफ्तार किया था। जिन्हें सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली थी। वहीं गत दिनों एसीबी ने जलदाय विभाग के वर्तमान और पूर्व अधिकारियों दिनेश गोयल, कृष्णदीप गुप्ता, शुभांशु दीक्षित, सुशील शर्मा, विशाल सक्सेना, अरुण श्रीवास्तव, डीके गौड, महेन्द्र प्रकाश सोनी, निरिल कुमार और मुकेश पाठक को गिरफ्तार किया था। एसीबी कोर्ट इन सभी अधिकारियों की जमानत अर्जियों को खारिज कर चुकी है। इसके अलावा तीन अन्य आरोपी फरार चल रहे हैं।

सुबोध अग्रवाल की ओर से मामले में अपने खिलाफ दर्ज एसीबी की इस एफआईआर को रद्द कराने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। गत 19 फरवरी को याचिका दायर होने के बाद नाटकीय घटनाक्रम में उनके अधिवक्ता ने कोर्ट में प्रार्थना पत्र पेश कर अपना वकालतनामा वापस ले लिया। अब उनकी ओर से दूसरे अधिवक्ता पेश हो रहे हैं। सुबोध अग्रवाल का कहना है कि जलदाय विभाग के अधिकारी विशाल सक्सेना के बयान पर उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, जबकि मामले का खुलासा होने के बाद उसके कार्यकाल में विशाल पर कार्रवाई की गई थी।

गौरलब है कि जल जीवन मिशन घोटाले को लेकर एसीबी ने साल 2024 में एफआईआर दर्ज की थी। जांच में सामने आया की ठेका फर्म श्री गणपति ट्यूबवेल और श्री श्याम ट्यूबवेल के संचालकों ने इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के फर्जी प्रमाण पत्र तैयार कर पीएचईडी के अफसरों से मिलीभगत कर करीब 960 करोड रुपए के टेंडर हासिल किए।

"ट्री हाऊस हाई स्कूल" की मनमर्जी का मामला सीबीएसई तक पहुंचा

कलेक्टर संदेश नायक ने भी स्कूल का निरीक्षण कर हालात जांचे

जयपुर। राजधानी जयपुर के श्याम नगर इलाके में "ट्री हाऊस हाई स्कूल" पिछले 4 दिनों से बंद है। स्कूल संचालकों ने सत्र 2026-27 की फीस वसूलने के बावजूद अघोषित रूप से स्कूल बंद कर रखा है। स्कूल प्रबंधन ने अभिभावकों और बच्चों के भविष्य की चिंता किए बिना मनमर्जी से गत मंगलवार को स्कूल बंद कर दिया था, इसकी पूरी शिकायत सी.बी.एस.ई. तक भी पहुंची है। उधर जिला कलेक्टर संदेश नायक ने भी स्कूल का औचक निरीक्षण कर बच्चों के भविष्य के लिए हालात जांचे है। उधर अभिभावकों ने शुक्रवार को शिक्षा विभाग पहुंचकर प्रकरण की शिकायतें की है, परंतु अधिकारियों ने स्कूल पर कोई एक्शन लेने के बजाय अभी चर्चा करके फैसला लेने की बात कही है।

गौरतलब है कि, विद्या भारती समिति द्वारा श्याम नगर में "ट्री हाऊस हाई स्कूल" संचालित की जा रही थी। उन्होंने यह स्कूल बिल्डिंग अरिहंत एंटरप्राइजेज़ के मालिक विनय चौरडिया से 10.67 लाख रु. प्रतिमाह किराये पर ली थी। परंतु पिछले 4 वर्षों से स्कूल संचालक राजेश भाटिया किराया नहीं चुका पा रहा था, ऐसे में दोनों पक्षों के बीच बकाया 4.21 करोड़ रुपए को लेकर भारी विवाद है। गत मंगलवार को भाटिया अचानक स्कूल बंद करके फरार हो गया। पिछले 3 दिनों से बच्चे और अभिभावक स्कूल प्रबंधन से लेकर विधायक, पुलिस, शिक्षा विभाग और जिला प्रशासन के पास चक्कर काट रहे हैं, लेकिन कहीं से कोई राहत नहीं मिलती दिख रही। इस पूरे प्रकरण में "ट्री हाऊस हाई स्कूल" पर शिक्षा विभाग और सीबीएसई द्वारा अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया जाना भी संशय की स्थिति पैदा कर रहा है।

हालांकि शुक्रवार को सी.बी.एस.ई. के अधिकारियों ने स्कूल पहुंचकर हालात देखे और साफ कहा कि हमें स्कूल बंद करने के संबंध में कोई सूचना नहीं मिली है। ऐसे अचानक स्कूल बंद नहीं किया जा सकता, इसके लिए कम से कम 3 महीने पहले सूचना देनी होती है। ऐसे में फिलहाल 3 महीने तक स्कूल की मान्यता रद्द नहीं हो पाएगी। उधर अभिभावकों का कहना है कि, जिला कलेक्टर मौके पर पहुंचे, लेकिन उन्होंने भी सभी बच्चों के भविष्य की चिंता करने के बजाय सिर्फ आर.टी.ई. में पढ़ रहे बच्चों को अन्यत्र शिफ्टिंग को लेकर ज्यादा बातचीत की। हैरानी की बात है कि आखिर कोई स्कूल कैसे मनमर्जी से बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ कर सकता है, सरकार और प्रशासन इस पर कोई एक्शन क्यों नहीं ले रहा?

निवेश प्रस्तावों को धरातल पर उतारने की कवायद

जयपुर। राजधानी जयपुर समेत प्रदेशभर में "राइजिंग राजस्थान" समिट के दौरान हुए निवेश प्रस्तावों को धरातल पर उतारने की कवायद चल रही है। जयपुर जिला प्रशासन की मॉनिटरिंग से 187 में से 30 एमओयू जमीन पर उतर चुके हैं। ज्ञात रहे कि समिट के दौरान 33 हजार 698 करोड़ रुपए के कुल 187 एमओयू हुए थे, जिनमें से 2965 करोड़ रुपए से ज्यादा के 30 समझौता को धरातल पर उतारा है। शुक्रवार को जिला कलक्टर संदेश नायक की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें राइजिंग राजस्थान समिट के अंतर्गत निष्पादित एमओयू की प्रगति की समीक्षा की गई।

इनकम टैक्स रेड का डर दिखाकर जयपुर में 90 लाख रुपए की ठगी

- मुरलीपुरा पुलिस ने शातिर नटवरलाल समेत दो बदमाशों को दबोचा
- वारदात के बाद आरोपी मुंबई, भोपाल और उदयपुर में फरारी काटता रहा

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर। मुरलीपुरा थाना पुलिस ने इनकम टैक्स रेड का भय दिखाकर 90 लाख रुपये की ठगी करने वाले शातिर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए मुख्य आरोपी सहित उसके मुखबिर को गिरफ्तार किया है। फिलहाल आरोपियों से पूछताछ की जा रही है।

पुलिस उपायुक्त (पश्चिम) प्रशांत किरण ने बताया कि मुरलीपुरा थाना पुलिस ने इनकम टैक्स रेड का भय दिखाकर 90 लाख रुपये की ठगी करने वाले शातिर ठग बाबूलाल वर्मा उर्फ बी.एल. गोयल (58) निवासी चूरू हाल माचेडा (हरमाड़ा) सहित मुखबिर रोहित वर्मा (24) निवासी नेपाल हाल वीकेआई गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से कुल 77 लाख 50 हजार रुपये बरामद किए हैं। मुख्य आरोपी बाबूलाल वर्मा के पास से 52 लाख रुपये नकद मिले, जबकि रोहित वर्मा से 50 हजार रुपये बरामद हुए। इसके अलावा आरोपी द्वारा ठगी की रकम से केनरा बैंक में लिया गया 25 लाख रुपये का गोल्ड लोन चुकाया गया था, जिसे भी रिकवरी में शामिल किया गया है। पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी इस रकम से फ्लैट खरीदने की योजना बना रहा था, लेकिन उससे पहले ही गिरफ्त में आ गया।

पुलिस मामले में आगे की जांच कर रही है और अन्य संभावित कड़ियों की भी पड़ताल की जा रही है। थानाधिकारी वीरेन्द्र कुरील ने बताया कि परिवादी ने 17 मार्च 2026 को अपना प्लॉट बेचा था, जिसके एवज में उसे 90 लाख रुपये प्राप्त हुए। इसी दौरान मौजूद रोहित वर्मा ने रुपयों से भरे बैग और पूरी जानकारी शातिर ठग बाबूलाल वर्मा उर्फ बी.एल. गोयल को दे दी। जहां योजना के तहत अगले ही दिन आरोपी बाबूलाल वर्मा परिवादी के पास पहुंचा और खुद को प्रभावशाली बताते हुए इनकम टैक्स रेड पड़ने का डर दिखाया। उसने रुपयों को सुरक्षित रखने के बहाने परिवादी को साथ लिया और एक बंद मकान में ले जाकर दूसरी मंजिल पर रखे पुराने फ्रिज में रुपयों से भरा बैग रखवा दिया। इसके बाद परिवादी को भोजन के बहाने बाहर भेज दिया। जब परिवादी वापस लौटा तो आरोपी और रुपयों से भरा बैग दोनों गायब थे। इस घटना के बाद आरोपी मुंबई, भोपाल और उदयपुर में फरारी काटता रहा। जहां गठित पुलिस टीम ने घटनास्थल से लेकर भागने के पूरे रूट के सौ से अधिक सीसीटीवी फुटेज खंगाले। जिससे आरोपियों की पहचान कर उन्हें दबोचा।

अनंत अंबानी की संस्था गुजरात के जाम नगर में खोलेगी "वनतारा यूनिवर्सिटी"

- यह वन्यजीव संरक्षण और पशु चिकित्सा विज्ञान को समर्पित दुनिया की पहली एकीकृत वैश्विक यूनिवर्सिटी होगी

जामनगर (गुजरात)। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अनंत अंबानी की बनाई ग्लोबल वाइल्डलाइफ कंज़र्वेशन ऑर्गनाइज़ेशन "वनतारा" ने गुजरात के जामनगर में वनतारा यूनिवर्सिटी शुरू करने की घोषणा की है। यह वन्यजीव संरक्षण और पशु चिकित्सा विज्ञान को समर्पित दुनिया की पहली एकीकृत वैश्विक यूनिवर्सिटी होगी।

वनतारा यूनिवर्सिटी की नींव पशु कल्याण, वैज्ञानिक प्रगति और वन्यजीव संरक्षण पर आधारित है। इस संस्थान का लक्ष्य पशु चिकित्सा, संरक्षण और वन्यजीव देखभाल के क्षेत्र में भविष्य के लीडर्स तैयार करना है। इसका पाठ्यक्रम भारत की सदियों पुरानी ज्ञान परंपराओं का उपयोग करके शिक्षा का एक उद्देश्य-पूर्ण और भविष्य-उन्मुखी मॉडल तैयार करेगा।

अनंत अंबानी ने कहा कि संरक्षण का भविष्य इस बात पर निर्भर करेगा कि हम लोगों और संस्थानों को करुणा, ज्ञान और कौशल के साथ जीवों की सेवा करने के लिए कैसे तैयार करते हैं। वनतारा यूनिवर्सिटी की परिकल्पना उस व्यक्तिगत अनुभव से प्रेरित है, जब मैंने संकट में पड़े पशुओं को करीब से देखा और उनकी बेहतर देखभाल के लिए अधिक क्षमता की आवश्यकता महसूस की।

प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय की भावना और 'आ नो भद्राः क्रतवो यन्तु विश्वतः' अर्थात् सभी दिशाओं से श्रेष्ठ विचार हमारे पास आएं, के आदर्शों से प्रेरित होकर यह विश्वविद्यालय हर जीवन की रक्षा के लिए समर्पित नई पीढ़ी तैयार करना चाहता है।

हिंदू परंपराओं के अनुसार आयोजित इस शिलान्यास समारोह में शिक्षा, विज्ञान, संरक्षण और सार्वजनिक जीवन के प्रतिनिधियों के साथ-साथ अनंत अंबानी के शिक्षक और मार्गदर्शक भी शामिल हुए। समारोह का एक मुख्य आकर्षण मिट्टी, जल और पत्थरों को विधि-विधान से स्थापित करने की रस्म थी, जिसे शिलान्यास के एक प्रतीकात्मक कार्य के रूप में संपन्न किया गया। वनतारा यूनिवर्सिटी अलग-अलग सब्जेक्ट्स में अंडरग्रेजुएट, पोस्टग्रेजुएट, फेलोशिप और स्पेशलाइज़्ड प्रोग्राम ऑफर करेगी। इनमें वाइल्डलाइफ मेडिसिन और सर्जरी, न्यूट्रिशन, बिहेवियरल साइंसेज, जेनेटिक्स, एपिडेमियोलॉजी, वन हेल्थ, कंज़र्वेशन पॉलिसी और नेचुरलिस्टिक एनिमल केयर एनवायरनमेंट डिज़ाइन की पढ़ाई होगी। वनतारा की कार्यक्षमता के अनुरूप विशेष कॉलेज भी स्थापित किए जाएंगे। साथ ही सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्तियां भी प्रदान की जाएंगी। शिलान्यास समारोह ने करुणा-आधारित संरक्षण शिक्षा को आगे बढ़ाने के व्यापक राष्ट्रीय प्रयास की शुरुआत भी दर्शाई।

हथिनी को गुलाबी रंगने और मृत्यु के विरोध में प्रदर्शन

राजधानी जयपुर में हथिनी चंचल को गुलाबी रंग में रंगने और उसके बाद विदेशी फोटोग्राफर द्वारा फोटोशूट किये जाने के विरोध में शुक्रवार को पेटा द्वारा अल्बर्ट हाल पर प्रदर्शन किया गया। ज्ञात रहे कि यह फोटोशूट करीब 1 साल पहले हुआ था, हथिनी चंचल की मौत भी हो चुकी है। पिछले दिनों जब यह तस्वीरें सोशल मीडिया पर सामने आयी थी, उसके बाद जमकर विवाद उपजा था। फोटो-राष्ट्रदूत

चंदवाजी में 795 किलो विस्फोटक के साथ दो बदमाश गिरफ्तार

खदान क्षेत्र में अवैध ब्लास्टिंग की तैयारी कर रहे थे दोनों आरोपी

जयपुर। जयपुर ग्रामीण के चंदवाजी थाना क्षेत्र में पुलिस की त्वरित कार्रवाई से बड़ा हादसा टल गया। खदान क्षेत्र में अवैध ब्लास्टिंग की तैयारी कर रहे दो आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए पुलिस ने 795 किलोग्राम विस्फोटक सामग्री का जखीरा जब्त किया है।

पुलिस अधीक्षक हनुमान प्रसाद ने बताया कि जयपुर ग्रामीण जिले में विशेष अभियान के तहत यह कार्रवाई की गई। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (शाहपुरा) रणवीर सिंह और वृत्ताधिकारी जमवारामगढ़ रामकिशन विश्नोई के सुपरविजन में थानाधिकारी नितिन चौधरी के नेतृत्व में गठित टीम ने ऑपरेशन को अंजाम दिया।

पुलिस को सूचना मिली थी कि त्रिवेणी क्रेशर के पास खदान क्षेत्र में भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री इकट्ठा कर अवैध ब्लास्टिंग की तैयारी की जा रही है। सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने मौके पर दबिश देकर कांकड की ढाणी, मानपुरा माचेड़ी निवासी बाबूलाल यादव और सुरेश कुमार यादव को गिरफ्तार कर लिया।

तलाशी के दौरान पुलिस ने 286 नग अमोनियम नाइट्रेट बूस्टर (कुल 795 किलो), 121 डेटोनेटर डीटीएच वायर सहित, एक जिलेटिन बत्ती तथा 4 अतिरिक्त डेटोनेटर बरामद किए। इतनी बड़ी मात्रा में विस्फोटक सामग्री बिना लाइसेंस रखना गंभीर अपराध माना जाता है, जिससे बड़ा हादसा हो सकता था। आरोपी विस्फोटक सामग्री के संबंध में कोई वैध अनुमति प्रस्तुत नहीं कर सके। इस पर पुलिस ने विस्फोटक अधिनियम 1884 के तहत मामला दर्ज कर दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। इस कार्रवाई में पुलिस टीम के हरिराम, हेड कांस्टेबल सुभाष चंद और कांस्टेबल रोहिताश सहित अन्य कर्मियों की अहम भूमिका रही। पुलिस अब इस मामले से जुड़े अन्य लोगों और नेटवर्क की जांच में जुटी है।